//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – अंशुल आमेरिया (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 136 / 2017

उनवान

1. प्रताप पुत्र सालू
2. भंवरलाल पुत्र चन्द्रा
3. हेतराग पुत्र चन्द्रा
4. भूरा पुत्र चन्द्रा
5. गोविन्द पुत्र चन्द्रा
6. शोभा पुत्र चन्द्रा
7. गोपाल पुत्र रामदेव
8. बाली पत्नी रामदेव
9. कमला पत्नी दयाल
10. रामलाल पुत्र दयाल
11. हरलाल पुत्र श्रवण
12. हरचन्द पुत्र श्रवण
13. सूरा पुत्र हीरा
14. मांगी पत्नी तेजू
15. लाला पुत्र तेजू
16. हेमराज पुत्र तेजू
17. लाला पुत्र बींजा
18. बलदेव पुत्र सुवा
19. महादेव पुत्र सुवा
20. शैतान पुत्र सुवा जाति गुर्जर निवासी बेवंजा

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 अ राज. काश्त. अधि. 1955 व धारा 136 भसू राज0 अधि0 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:04:08 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :– दिनांक :– 12.1.23

वादीगण ने जरियें अधिवक्ता उक्त वाद पेश कर निवेदन कियार कि ग्राम बेवंजा के साबिक खसरा नम्बर 408 रकबा 13–6–0 की आराजी खेवट जमाबंदी सम्वत् [illegible]ली 1359 मे मूल खातेदार सालू व बींजा वगैरह खातेदार दर्ज है। सालू वगै0 में हीरा [illegible] व

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चन्द्रा व प्रताप है। जिसमें सालू की मृत्यु हो गयी है। व अन्य व्यक्तियों की भी मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है। उक्त आराजी पर वादीगण/पूर्वज कदीम से काबिज काश्त है। उक्त आराजी वादीगण के नाम जरियें विरासत दर्ज करने के बजाय गलत व त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी। आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नम्बर 408 वर्किंग खसरा नम्बर 688/1–2–0, 692/0–18–0, 691/0–7–0, 689/10–19–10 हाल खसरा नम्बर 1216/0.18, 1215/2898 रकबा 0.18, 1312/0.06, 1321/0.07, 1311/0.44, 1318/0.31, 1319/0.41 व 1320/0.59 बने है। जिसमें से खसरा नम्बर 1216 खातेदारी दर्ज है किन्तु शेष खसरा नम्बर सिवायचक दर्ज है।

अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2025–28 में साबिक खसरा नम्बर 408 रकबा 13–6–10 सिवायचक दर्ज है। खैवट 1359 के खाता संख्या 19/1 में खसरा नम्बर 408 रकबा 13–6–10 सालू वगै के नाम दर्ज है। निरदावरी सम्वत् 2020 में रकबा 13–6–10 बंजड व 2021 में रकबा 6–5–0 ज्वार दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 1216 के अतिरिक्त शेष खसरा नम्बर सिवायचक दर्ज है। आरराजी मुतनाजा की किस्म पेटा तालाबी होने व धारा 16 राज0 काश्त0 अधि0 1955 के तहत अपवर्जित भूमि होने से वाद खारिज योग्य है। प्रकरण में निम्न तनकियसत कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है ?

–– वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

–– वादीगण

3. आया वादग्रस्त आराजी धारा 16 आर.टी.ए. के तहत प्रतिबंधित है ? इसका वाद पर क्या असर
पडेगा ?

–– प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में हरचन्द पुत्र श्रवण व हरचन्द पुत्र रामपाल के बयान दर्ज करवाये व राजस्व अभिलेख पेश किये।
राज0 पैरोकार ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

<u>तनकी संख्या 1 व 2</u> :–

आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी एवं हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। वादीगण का कथन है कि उक्त आराजी साबिक राजस्व अभिलेख में उनके पूवजों की खातेदारी में दर्ज थी। किन्तु राजस्व अभिलेख अनुसार चौसाला ख0न0 408 रकबा 13–6–10 चौसाला जमाबंदी सम्वत 2020–28 में सिवायचक दर्ज है। वादीगण का कथन है कि साबिक खसरा नम्बर 408 रकबा 13–6[illegible] आराजी खेवट जमाबंदी सम्वत् सन् फसली 1359 मे मूल खातेदार [illegible] दर्ज है। किन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू दिनांक को उक्त आराजी [illegible] पूर्वज के नाम खातेदारी रही हो ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। विधि का सुंस्थापित नियम है कि काश्तकारी अधिनियम लागू दिनांक को जो व्यक्ति [illegible] के कब्जे काश्त में थे उन्हे ही

––3

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:04:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। वादी के पूर्वज उक्त समय उक्त आराजी पर तत्समय काबिज काश्त नही थे। इसलिये चौसाला जमाबंदी में उक्त आराजी सही रूप से सिवायचक दर्ज की गयी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख में उक्त समस्त आराजी अजमेर जिले में काश्तकारी अधिनियम लागू दिनांक को ना तो उसके पूर्वजों के कब्जे काश्त में थी ना ही उनको उक्त आराजी के खातेदार अधिकार प्राप्त थे। वादीगण/पूर्वजो का कुछ आराजी पर यदा–कदा कब्जा खसरा गिरदावरी में अंकित है। किन्तु उक्त खण्डित कब्जे काश्त के आधार पर वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है। खसरा गिरदावरी अधिकार का प्रमाण नही है। वादीगण द्वारा खेवट फसली के आधार पर अपना कब्जा काश्त बताया है। किन्तु उक्त दस्तावेज काश्तकारी अधिनियम लागू दिनांक से पूर्व के है। वादीगण ने हाल के वर्षो की खसरा गिरदावरी पेश नही की जिससे उसका कब्जा काश्त उक्त आराजी पर सिद्व होता हो। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में उक्त आराजी कभी भी वादी/पूर्वज की खातेदारी में नही रही। अतः वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी नही है। तनकी संख्या 1 व 2 विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

साबिक खसरा नम्बर 408 की किस्म चौसाला जमाबंदी में आबी 3 है। हाल जमाबंदी में उक्त आराजी की किस्म पेटा तालाबी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत उक्त किस्म की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। अतः वादीगण उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी नही होने से तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम बैवंजा के हाल खसरा नम्बर 1215/2898 रकबा 0.18, 1312/0.06, 1321/0.07, 1311/0.44, 1318/0.31, 1319/0.41 व 1320/0.59 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:04:08 IST
Reason: SelfAttested